

**विषय:—** मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग (एस.ओ.एम) में दिये गये निर्देशों की पालना के संबंध में।

**संदर्भ:—** प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग का बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.8(2)/प्रसु/सम/अनु-1/2024 दिनांक 28.03.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित की जायें।

साथ ही उक्त बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-3 में दिये गये निर्देश "सभी राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित की जावें" के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में गरिमापूर्ण पोशाक में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाये। जींस, टी-शर्ट एवं अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जावें।

**संलग्न—**उपर्युक्तानुसार।

(नीतू राजेश्वर)  
संयुक्त शासन सचिव

1. उप शासन सचिव, सम्पदा विभाग।
2. उप शासन सचिव, साप्र (ग्रुप-2) विभाग।
3. मुख्य लेखाधिकारी, साप्र. (ग्रुप-4) विभाग।
4. सहायक शासन सचिव, साप्र. (ग्रुप-1,3 व 6) विभाग।
5. सहायक शासन सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
6. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।

अशा: टीप. क्रमांक: प.17(1)साप्र/5/2024

जयपुर, दिनांक: 02.04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
6435184

Document certified by NEETU RAJESHWAR  
<neeturajeshwar@gmail.com>

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(अनुभाग-1)

प.8(2)प्रसु/सम/अनु-1/2024

जयपुर, दिनांक:

**बैठक कार्यवाही विवरण**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10:30 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर मीटिंग (SOM) का आयोजन किया गया। बैठक में अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त शासन सचिवगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये:-

1. लोकसभा चुनाव-2024 के तहत राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता में निषिद्ध कार्यों को नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी सामान्य कार्य किए जाएं।
2. राजस्व अर्जन संबंधी विभाग यथा वाणिज्य कर, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, यातायात इत्यादि सभी विभाग राजस्व अर्जन में कमी के प्रति संवेदनशील होते हुए वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में यथासंभव लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व अर्जन के प्रयास करें। राजस्व अर्जन संबंधी विभागों के RE में संशोधित लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व अर्जन करने में कई विभाग काफी पीछे रहे हैं। अतः शेष अवधि में पूर्ण प्रयास किये जावे।
3. सभी राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. ई-फाईल औसत निस्तारण समय की गणना से संबंधित तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया जावे। **(अपेक्षित कार्यवाही-** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)
5. ई-फाईल औसत निस्तारण समय में सुधार हुआ है, पत्रावलियों का गुणवत्तापूर्ण रूप से निस्तारण कर प्रथम चरण में औसत निस्तारण समय को 10 घंटे से कम (Single digit में) करने का यथासंभव प्रयास किया जावे।
6. ई-फाईल/ई-डाक पेंडेंसी की सूचना 01 अक्टूबर, 2023, 01 जनवरी, 2024, 01 अप्रैल, 2024 की कट ऑफ डेट्स की सूचना मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत की जावे। **(अपेक्षित कार्यवाही-** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)
7. जिन विभागों में CLEARS/PLS प्रकरण लंबित है, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग कर निस्तारण किया जावे। CLEARS पोर्टल में Due Date की Functionality को जोड़ा जाए। **(अपेक्षित कार्यवाही-** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)

RajKaj Ref  
6368383

8. PLS प्रकरणों से संबंधित विश्लेषणात्मक विवरण (प्राप्त, निस्तारित एवं शेष Pink प्रकरणों की संख्या का उल्लेख इत्यादि) SOM पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावे। (अपेक्षित कार्यवाही—सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)
9. आदर्श आचार संहिता की अवधि का उपयोग विधानसभा के लंबित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख, आश्वासनों के शेष रहे प्रकरणों का निरंतर प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए मिशन मोड पर निस्तारण किया जावे।
10. अपील योग्य प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने से राजकीय पक्ष पर विपरित प्रभाव पड़ता है। अतः न्यायालयों द्वारा निर्णय के बाद शीघ्रता से अपील/नो-अपील का निर्णय प्री-लिटिगेशन कमेटी की बैठकों में किया जावे।
11. राजकीय अधिकारियों के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग हेतु उचित प्रणाली विकसित कर लागू की जावे। (अपेक्षित कार्यवाही— विधि विभाग)
12. वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा अपने अधीन कार्यालयों का नियमित रूप से व्यक्तिशः निरीक्षण किया जावे। साथ ही प्रशासनिक सचिवों द्वारा सचिवालय में स्थित अपने विभाग के अनुभागों का निरीक्षण किया जावे। विभागीय सचिवगणों द्वारा SOM के समीक्षा बिंदुओं की तर्ज पर विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जावे।
13. CMIS पोर्टल पर विभागीय सूचनाओं को प्रत्येक माह की 1 व 16 तारीख को नियमित रूप से अद्यतन किया जावे।
14. विभागों द्वारा ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि (प्रति त्रैमास) में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वे विभाग जिनमें इस वित्तीय वर्ष में शून्य बैठक हुई है, वे 31 मार्च 2024 तक जनवरी-मार्च, 2024 त्रैमास की बैठक यथासंभव किया जाना सुनिश्चित करें।
15. सभी विभाग आवंटित बजट के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित करे, साथ ही वित्त विभाग द्वारा व्यय से संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार यथाशीघ्र स्वीकृति दी जावे।
16. सभी प्रशासनिक सचिवगण अपने विभाग को आवंटित योजनागत बजट का वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय किया जाना सुनिश्चित करे। Central Assistance Schemes के अंतर्गत वांछित राज्य का Matching Share वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभाग की मांग पर यथाशीघ्र आवंटित किया जावे।
17. उद्योग विभाग के Single Window Clearance System/One Stop Shop, Land related issues व अन्य चिन्हित मुद्दों पर संबंधित विभाग संवेदनशीलतापूर्वक सहयोग करें।

18. शासन सचिव, आयोजना विभाग समस्त विभागों के प्रशासनिक सचिवगण से विचार-विमर्श उपरांत KPIs को अंतिम रूप देकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राजन विशाल)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

RajKaj Ref  
6368383

Document certified by RAJAN  
VISHAL <secyma@rajasthan.gov.in>.  
Digitally Signed by Rajan Vishal  
Designation: Secretary To  
Government  
Date :28-03-2024 01:17:37

संशोधित अशा.टीप

**विषय:—** मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग (एस.ओ.एम) में दिये गये निर्देशों की पालना के संबंध में।

**संदर्भ:—** विभागीय समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 02.04.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अशा.टीप के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित की जायें।

साथ ही उक्त बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-3 में दिये गये निर्देश के अनुरूप अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित की जावें।

1. उप शासन सचिव, सम्पदा विभाग।
2. उप शासन सचिव, साप्र (ग्रुप-2) विभाग।
3. मुख्य लेखाधिकारी, साप्र. (ग्रुप-4) विभाग।
4. सहायक शासन सचिव, साप्र. (ग्रुप-1,3 व 6) विभाग।
5. सहायक शासन सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
6. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।

(नीतू राजेश्वर)  
संयुक्त शासन सचिव

अशा: टीप. क्रमांक: प.17(1)साप्र/5/2024  
जयपुर, दिनांक: 04.04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
6479171

Document certified by NEETU RAJESHWAR  
<neeturajeshwar@gmail.com>